।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्या: 1514/26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौड़ी ~~मई~~ जून 2 ,2018

"आदेश"

तहसीलदार लैन्सडौन ने अपने पत्र संख्या 242/र0का0–2018 दिनांक 05.05.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित मोटर मार्ग मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरवल्ला के नॉन जेड0ए0 खतौनी के वर्तमान खतौनी खाता सं0 7 के खसरा नं0 934 रकबा 8.043 है0 मध्ये 4.550 है0 श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि मे कोई चारागाह, पनघट, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट आदि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण के लिए तहसीलदार लैन्सडौन की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरवल्ला के नॉन जेड0ए0 खतौनी के वर्तमान खतौनी खाता सं0 7 के खसरा नं0 934 रकबा 8.043 है0 मध्ये 4.550 है0 श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,कोटद्वार।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

उद्धरण खसरा

ग्राम ......सीला डांडा...................... पट्टी...बांगूर वल्ला..... तहसील -लैन्सडाउन , परगना...डै.गा. सल्ला....जिला पौड़ी गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
934	8.034 हैक्टे 4.550	7	उत्तराखण्ड सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	आदि	8.034 हैक्टे 4.550		

प्रति हस्ताक्षरित

[signature]

तैयार किया।

[signature] 13/3/18

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी-बांगूर वल्ला-I
तहसील-लैन्सडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

नियम - 44

नकल खतौनी (पुनरीक्षित) ग्राम कोटला डांडा पट्टी लंगूर वल्ला परगना गंगा सलाण तहसील लैन्सडौन जिला पौड़ी गढ़वाल

फांट खाता नम्बर	मुनफिस (खतौनी) खाता की क्र.सं.	खातेदार या काबिज का नाम पितृनाम तथा निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी में	नाम तोक	गैर मजरूआ शामिल जोत	मालगुजारी अथवा लगान (यदि सिरतान हो)	ग्रेप	मालिकाना	थोकदारी या मालगुजारी	किस्म जमीन: तालाब	अव्वल	दोयम	इजरान	कटील	कुल रकबा	विवरण: कानूनी	गैर कानूनी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	[illegible]		934	8.043 कुल 4.550	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—

प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible]

[signature] UDA

तैयार किया / [signature] 15/3/18

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी लंगूर वल्ला
तहसील-लैन्सडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

नकल रेखा

विषय - मस्तखाल से सीला डांडा मोटर मार्ग के नव निर्माणार्थ प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के सम्बन्ध में।

ग्राम - सीला डांडा पट्टी लंगूर वल्ला तहसील - लैंसडौन जनपद - पौड़ी गढ़वाल

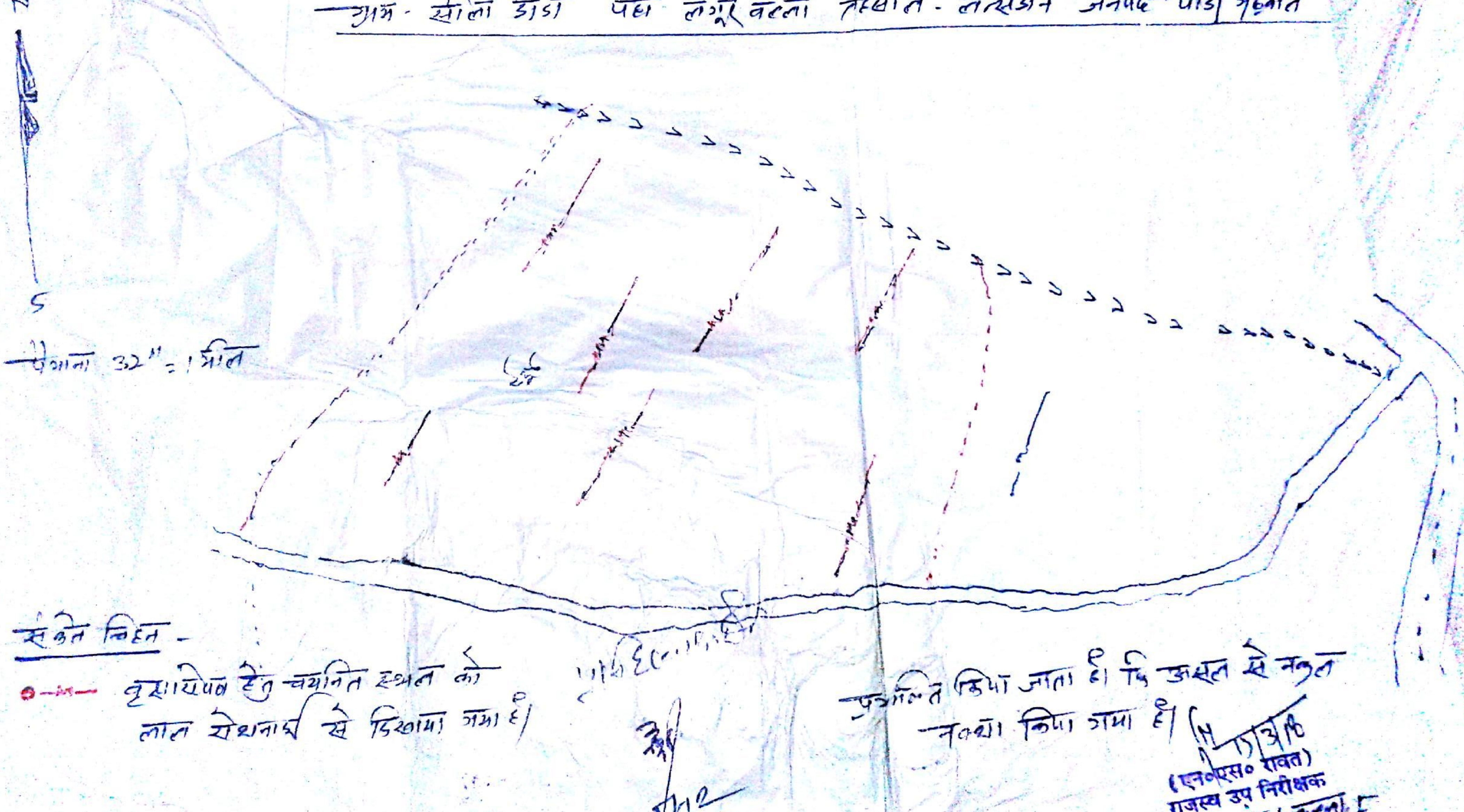

संकेत चिह्न -

—·— वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को लाल रेखनाएँ से दिखाया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि असल से नकल नक्शा किया गया है।

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी - लंगूर वल्ला
तहसील - लैंसडौन
जिला - पौड़ी गढ़वाल

NoN ZA खतौनी उद्धरण

ग्राम- सीलाउंडा पट्टी- लंगूर वल्ला-I रा०नि०क्षे०- सिलोगी तह० लैन्सडौन गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	21 तक
	07	झाड़ी		934	४१२॥≡ / 8.043	श्वेतापूठ	तहसीलदार लैन्सडौन के आदेश दि० 05.05.2018 एवं कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल आदेश सं०-1814/26-प्रशा० अधि० (सा० प्रशा०)/2018, दि० पौड़ी जून 2, 2018 आदेश- जनपद पौड़ी गढ़वाल मे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लैन्सडौन की आख्या एवं शासनादेश मे दिये गये निर्देशानुसार ग्राम- सीलाउंडा पट्टी- लंगूर वल्ला-I तह० लैन्सडौन की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं० 07 के खसरा नम्बर 934 रकबा 8.043 है० मध्य 4.550 है० कुल रकबा 4.550 है० भूमि श्रेणी 9(3) ख मे उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज है। भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। हस्ताक्षर सुशील कुमार जिला अधिकारी गढ़वाल
					४१२॥≡		

नकल असल से की गयी है।

28/11/19

नरेन्द्र सिंह
राजस्व उप निरीक्षक I/C
पट्टी... लं० वल्ला 2
तहसील... लैन्सडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण मे उपयुक्त सिविल राज्य भूमि का वन विभाग को हस्तानान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग के (5.450 कि0मी0) मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.552 हे0 ग्राम शीला डांडा, पट्टी लंगूर वल्ला–1, तहसील लैन्सडौन, जिला पौडी गढ़वाल की राज्य सिविल भूमि को विधिवत् रुप से वन विभाग को हस्तानान्तरित किया जायेगा। यह भूमि स्थल विशिष्ठ है।

राजस्व उपनिरीक्षक लंगूर वल्ला–1	तहसीलदार लैन्सडौन	उपजिलाधिकारी लैन्सडौन	जिलाधिकारी (पौडी गढ़वाल)
KANTA PRASAD REVENUE SUB INS PATTI L.W.-I TEHSIL GARHWAL LDN	तहसीलदार लैन्सडौन	एस० डी० एम० लैन्सडौन (गढ़वाल)	जिलाधिकारी पौड़ी

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tele- [illegible]
Fax- [illegible]
E-mail Id- [illegible]

पत्रांक 426/ दि० 26/04/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में किमी० 57.00 के टी02 (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.659 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/06/87/2016/एस०सी०/1961 दिनांक 17.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत किमी० 57.00 के टी02 (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.659 है० सिविल वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.318 है० ग्राम – मंजोखी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	दिनांक 02.04.2019 को जमा करवा दी गयी है। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	दिनांक 02.04.2019 को जमा करवा दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोकता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	मान्य है। प्रपत्र संलग्न
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	ऑन लाईन चालान जनरेट कर खाते में जमा करवा दिया गया है। परिवेश बेबसाईट से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति संलग्न।
5	सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
6	The State Govt. will submit plantation scheme as per Ministry guideline dated 08-11-2017 in lieu of 7 ha area of proposed CA land Falling under VDF and MDF.	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
7	The state Govt. will change the Eco class at Para 4(i), Part-II and revised NPV Calculation sheet accordingly. State Govt. may submit the original hard copy of CA scheme for village Manjokhi as mentioned in online and also upload the same at para 13 online Part I.	मान्य है।
	विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तो का अनुपालन	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	मान्य है।
2	एन०पी०बी० की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन०पी०बी० देने के लिए बाध्य होगा।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु चयनित 11.318 है० ग्राम– मंजोखी सिविल एवं सोयम भूमि को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत	मान्य है।

	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
6	निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी।	मान्य है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	मान्य है।
8	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव - जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।	मान्य है।
9	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	मान्य है।
10	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 358 से अधिक न हो।	मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। यदि विधिवत स्वीकृति मे दी गई शर्तो का संतोजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करे एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेडो के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करे। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नः- 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
दि0..........

पत्रांक 426 /- वनभूमि
निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- 1.- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
4. सहायक अभियन्ता - प्रथम सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

जिटल मानचित्र – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम संडक योजना के अन्तर्गत
मस्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग (लम्बाई 5.450 किमी0) के निमार्ण हेतु प्रस्तावित
क्षतिपूरकवृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षे0– 4.550 है0

0 0.5 1 1.5 Km (2.275×2) = 4.550 हे0

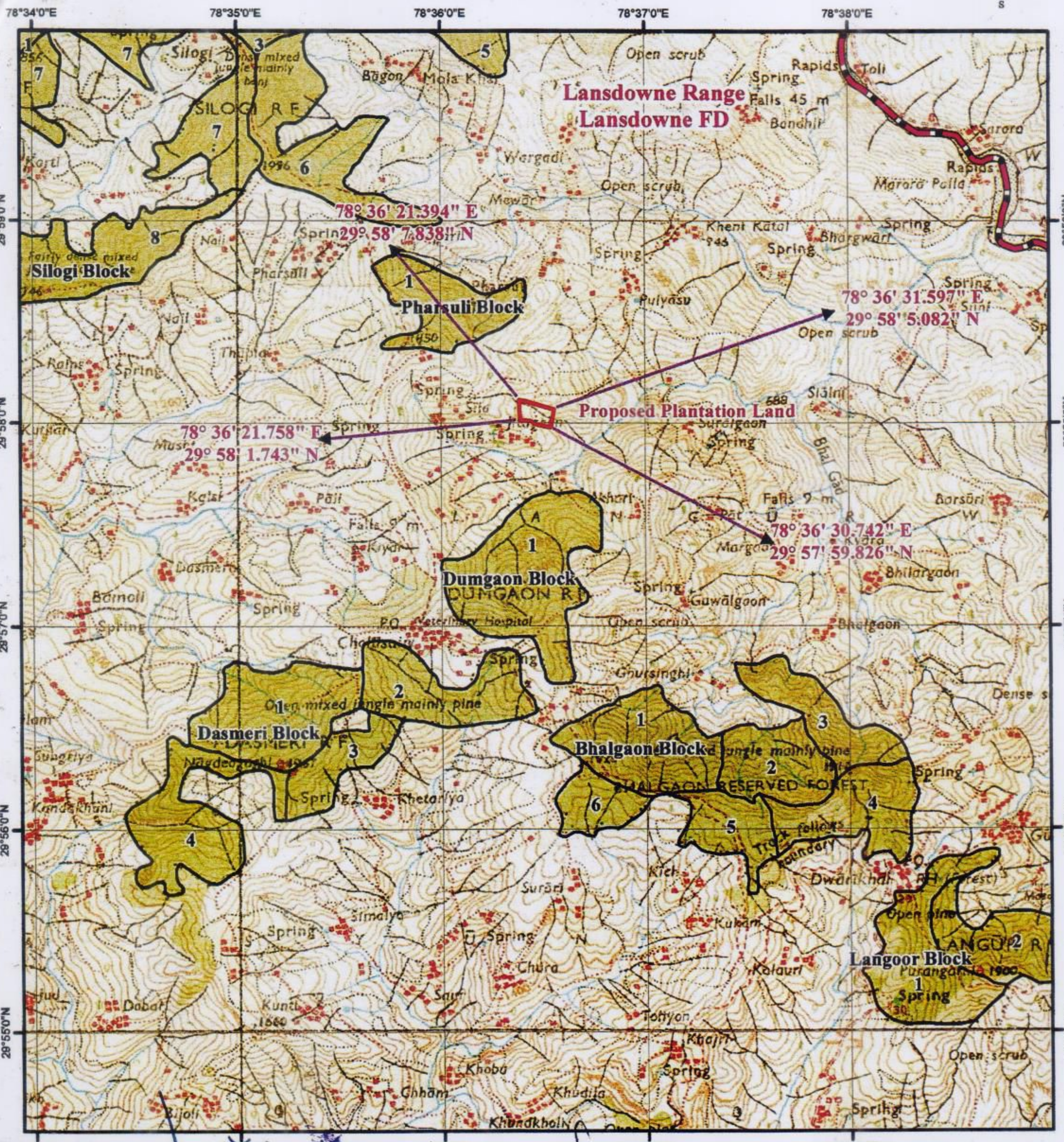

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन

वन क्षेत्राधिकारी
चैलूसैंण रेंज

सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(पी०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी...
तहसील-लैंसडौन
जिला पौड़ी गढ़वाल

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी
लैंसडौन (गढ़वाल)

जियो रेफरेंस मैप जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मास्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग के नव निर्माण (5.450 कि0मी0), के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षे0–4.550है0

(2.275×2) = 4.550 है0

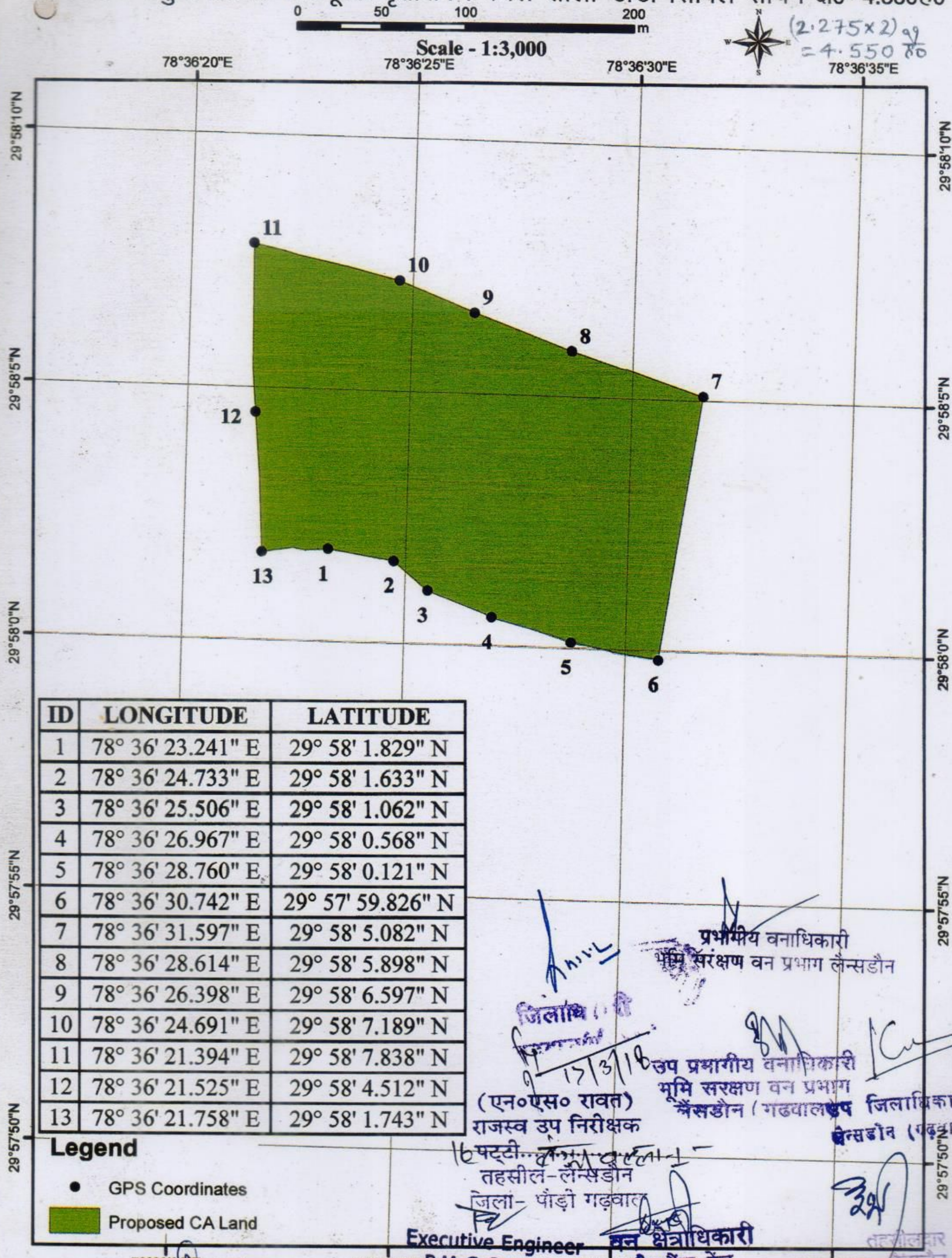

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 36' 23.241" E	29° 58' 1.829" N
2	78° 36' 24.733" E	29° 58' 1.633" N
3	78° 36' 25.506" E	29° 58' 1.062" N
4	78° 36' 26.967" E	29° 58' 0.568" N
5	78° 36' 28.760" E	29° 58' 0.121" N
6	78° 36' 30.742" E	29° 57' 59.826" N
7	78° 36' 31.597" E	29° 58' 5.082" N
8	78° 36' 28.614" E	29° 58' 5.898" N
9	78° 36' 26.398" E	29° 58' 6.597" N
10	78° 36' 24.691" E	29° 58' 7.189" N
11	78° 36' 21.394" E	29° 58' 7.838" N
12	78° 36' 21.525" E	29° 58' 4.512" N
13	78° 36' 21.758" E	29° 58' 1.743" N

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

जिलाधिकारी

17/3/18

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी
लैन्सडौन (गढ़वाल)

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
16 पट्टी ...
तहसील-लैंसडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

वन क्षेत्राधिकारी
चैलूसैंण रेंज

तहसीलदार
लैन्सडौन

सहायक अभियंता VI
पा०एम०जा०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(JE)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ **Help**

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11139/2015 Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	**CA:** 1394716/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1922375/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 3317091/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 16 Nov 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 18 Nov 2019 **Transaction Date** : 10 Dec 2019	Demand Letter Generated Challan